लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) द्वारा किये गए कार्यकलाप

● रिसोर्स संस्थानों (आर.आई.) की सहायता से कृषक उत्पादक संगठनों का संघटन और निर्माण।

● कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण।

● व्यवसाय योजना पर सी.ई.ओ., बी.ओ.डी. और सदस्य कृषकों का प्रशिक्षण, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत तैयारी और निष्पादन, प्रशासनिक अनुपालन और मौलिक लेखांकन आदि।

● कृषक उत्पादक संगठन में पंजीकरण के बाद ३ वर्ष हेतु सी.ई.ओ., कार्यालय व्यय आदि के प्रबंधन हेतु कृषक उत्पादक संगठनों को सहायता।

● वर्तमान योजनाओं के सामंजस्य के तहत संरचनात्मक सहायता।

● निम्नालिखित के माध्यम से वित्त पोषण सहायता:—

i) इक्विटी अनुदान योजना: लघु कृषक कृषि व्याापार संघ (एस.एफ.ए.सी., कृषक उत्पादक संगठनों के शेयर कैपिटल को दोगुना करने के लिए 10.00 लाख रुपये तक का इक्विटी अनुदान मुहैया कराता है।

ii) क्रेडिट गारंटी फंड: कृषक उत्पादक संगठनों को कोलेटरल गारंटी के बिना ऋण सहायता प्रदान करने एवं वित्तीय संस्थानों को कवर प्रदान करने हेतु लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) में 100.00 करोड़ रुपये का कार्पस सृजित किया गया है।

उपर्युक्त योजनाओं का लाभ उठाने हेतु कृषक उत्पादक संगठन अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं और अधिक जानकारी के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) की वेबसाइट www.sfacindia.com देख सकते हैं।

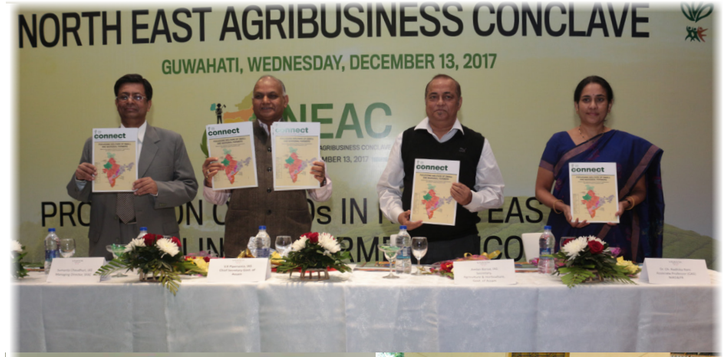

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
(कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
एन.सी.यू.आई. ऑडिटोरियम भवन, 5वां तल, 3 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016.
दूरभाष: +91-11-26966017, 26966037
ईमेल: sfac@nic.in वेबसाइट: www.sfacindia.com

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)

किसानों को वैल्यू चैन (मूल्य श्रृंखला) से जोड़ने का योजनाबद्ध माध्यम

कृषक उत्पादक संगठन

उत्पादकों, विशेषकर लघु और सीमांत कृषकों का उत्पादक संगठनों में सामूहिकीकरण कृषि की अनेक चुनौतियों का सामना करने हेतु अतिप्रभावी रास्तों में एक रास्ता उभर कर सामने आया है। विशेषकर निवेश, तकनीकी और बाजारों तक पहुंच में सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय कृषि लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों के स्थायित्व को मान्यता प्रदान करते हुए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने विस्तृत नीति जारी की थी और वर्ष 2013 के दौरान कृषक उत्पादक संगठनों हेतु दिशानिर्देश जारी किये थे। कृषक उत्पादक संगठन के निर्माण में राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) को सिंगल विंडो एजेंसी के तौर पर नामित किया गया था। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने देश भर में कृषक उत्पादक संगठनों को प्रवर्तित किया है। वर्तमान में फसलों के विस्तृत समूह को कवर करते हुए कृषक उत्पादक संगठन 29 राज्यों में कार्य कर रहे है। हजारों जागरूकता निर्माण और प्रशिक्षण बैठकों, प्रदर्शन दौरों, अनुभव आदान–प्रदान, शेयर कैपिटल हेतु बचत अशंदान, तकनीकी प्रदर्शन आयोजनों, भारी मात्रा में निवेश प्राप्त करने एवं उनकी सामुहिक क्रय शक्ति बढ़ाकर और दूरदराज की मंडियों में एकत्रित उत्पाद ले जाकर एक क्वार्टर मिलियन से भी अधिक कृषकों को सफल बनाने में योगदान दिया है।

कृषक उत्पादक संगठनों की संरचना

कृषकों को ग्राम स्तर पर 15-20 सदस्यों के बीच समूहों में संघटित किया जाता है (जिन्हें कृषक हितैषी समूह कहा जाता है) और उपयुक्त संघटन बिन्दु पर उनकी एसोसिएशन अर्थात् कृषक उत्पादक संगठन का निर्माण किया जाता है। इसे नीचे दिए गए चार्ट में देखा जा सकता है:

कृषक उत्पादक संगठनों की प्रारूपिक संरचना निम्नानुसार है:

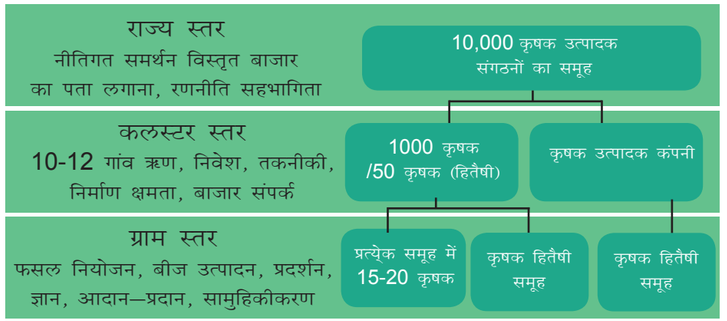

कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा प्रदान की गई प्रमुख सेवाएं

कृषक उत्पादक संगठन और अधिक कुशल उत्पादन और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने एवं उत्पादन और विपणन दोनों हेतु अधिक लाभ दिलाते हैं। प्रदान की जा रही कुछ प्रमुख सेवाएं निम्न प्रकार से है –

कृषि निवेश

कृषक उत्पादक संगठन, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जैसे आवश्यक निवेश भारी मात्रा में खरीदते हैं और अपनी खुदरा दुकानों के तहत बेचते हैं। निवेश कृषकों को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेचे जाते हैं। इस प्रकार से सदस्य कृषक निवेशों की लागत कम करते हैं तब कार्यकलाप से गुणवत्ता के निवेशों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होती है।

कस्टम हायरिंग सेवा

कम लागत पर स्थानीय स्तर पर इन मशीनों की उपलब्धता की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। लघु और सीमांत कृषकों द्वारा कृषि लागत में सतत वृद्धि का समाधान करने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों ने कृषि मशीनरी पर केन्द्रीय/राज्य योजनाओं की सहायता के साथ कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की है। कृषक उत्पादक संगठन सदस्यों को बहुत कम लागत पर मशीनरी और औजार किराये पर देते है (निजी क्षेत्र द्वारा वसूल की जा रही लागत से बहुत कम लागत पर)। वास्तव में कृषि मशीनीकरण ने कृषक उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता प्रदान की है।

उत्पादक विपणन संपर्क

यह उल्लेखनीय है कि कृषकों से उत्पादों की खरीद करना और उन्हें बेहतर मूल्य प्रदान करने हेतु बड़े–बड़े व्यापारियों और कंपनियों को बेचना चुनौती है तथापि अनेक कृषक उत्पादक संगठन अपने उत्पाद हेतु बाजार संपर्क स्थापित करने में सफल हुए है। कृषक उत्पादक संगठनों ने अपने उत्पादों की बिक्री हेतु बड़े – बड़े रिटेलरों के साथ गठजोड़ किया है और अपने उत्पाद का पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में सफल हुये हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से कृषक उत्पादक संगठनों ने राज्य सरकारों की सहायता से अपने उत्पाद के विपणन हेतु खुदरा दुकानें स्थापित की है।

कुछ कृषक उत्पादक संगठन मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और अपने उत्पाद की ब्रांडिंग के साथ आगे भी बढ़ चुके हैं।